भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1605

07 दिसंबर को उत्तरार्थ

विषय: पीएलआई स्कीम

1605:श्री राजा अमरेश्वर नाइक:

डॉ॰ सुकांत मजूमदार:

श्री विनोद कुमार सोनकर:

श्री भोला सिंह:

डॉ॰ जयंत कुमार रॉय:

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): क्या सरकार देश में कृषि मशीनरी के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना को लागू करने की योजना बना रही है;

(ख): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग): क्या सरकार को कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) जैसी विभिन्न वित्तीय सहायता/सब्सिडी योजनाओं में कृषि मशीनरी उत्पादों के एमपनेलमेंट के लिए 50% स्थानीयकरण मानदंड लाने पर विचार करना चाहिए विशेषकर पैड़ी ट्रांसप्लांटर्स और कम्बाइन हार्वेस्टर जिसके लिए घरेलू निर्माताओं द्वारा पर्याप्त रूप से क्षमता स्थापित की गई है;

(घ): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा

(.ड)सरकार द्वारा कृषि मशीनरी के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर बनने के लिए अन्य उठाए जा रहे हैं कदम कया है?

उत्तर

<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)</u>

(क) एवं (ख): वर्तमान में देश में कृषि मशीनरी निर्माण के लिए प्रोडक्टिविटीलिंक्डइंसेंटिव (पीएलआई) योजना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग)एवं (घ): कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। एसएमएएम के दिशानिर्देश, लागू सब्सिडी के साथ मशीनों और उपकरणों की एक विस्तृत सूची प्रदान करते हैं। लाभार्थी को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी पसंद के अनुसार कृषि मशीनरी और उपकरण के चयन के लिए पूर्ण स्वतंत्रता उपलब्ध है।

(ड.): मेक इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देने की नीति के रूप में सरकार अनुसंधान और विकास सहायता, कौशल विकास, मशीनों और उपकरणों के परीक्षण के लिए नियमों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण, सार्वजनिक खरीद में मेक इन इंडिया उत्पादों को वरीयता, विदेश व्यापार नीति के तहत आयात प्रतिबंधइत्यादि के माध्यम से कृषि मशीनरी और उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करती है।

*****